प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 113/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

"इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा"

नई दिल्ली, 08.11.2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज "इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभारों की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति प्रभार (आईटीसी) के लिए मौजूदा नियामक व्यवस्था की समीक्षा पर केंद्रित है।

1. दो सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क के बीच इंटरकनेक्शन एक सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं को दूसरे सेवा प्रदाता के उपभोक्ताओं के साथ संवाद करने में समर्थ बनाता है। प्राधिकरण द्वारा वॉइस कॉल के इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार के मूल विनियम को वर्ष 2003 में अधिसूचित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल के लिए समाप्ति प्रभार के संबंध में, आईयूसी विनियम में पिछला संशोधन वर्ष 2018 में किया गया था। संशोधन द्वारा अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल के लिए वायरलाइन और वायरलेस नेटवर्क के लिए समाप्ति शुल्क को 01.02.2018 से घटाकर 0.30 रु. प्रति मिनट किया गया है।

2. पिछले संशोधन को अधिसूचित करते समय, प्राधिकरण ने टिप्पणी की थी कि यह देश में अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) वॉइस ट्रैफिक के रुझानों और स्वरूप की सघन निगरानी करेगा। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि, यदि आवश्यक समझा गया तो वह समय–समय पर अंतर्राष्ट्रीय समापन शुल्क (आईटीसी) की समीक्षा कर सकता है।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण दूरसंचार बाजार के घटनाक्रम, और इनकमिंग ओर आउटगोइंग आईएलडी वॉइस ट्रैफिक वॉल्यूम के रूझानों की लगातार निगरानी कर रहा है। प्राधिकरण ने विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत के साथ–साथ विश्व स्तर पर दूरसंचार बाजार की विशेषताओं में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। घरेलू बाजार की संरचना वॉइस सेंट्रिक से डेटा सेंट्रिक में बदल रही है, और टैरिफ की पेशकश अलग–अलग उत्पादों जैसे कि वॉइस, डेटा, संदेशों आदि के मूल्य निर्धारण से बदलकर बंडल ऑफर्स में बदल रही हैं, जिसमें वॉइस, डेटा और संदेश शामिल

हैं। इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के मामले में भी इनकमिंग और आउटगोइंग वॉइस कॉल, डेटा और संदेशों की कतिपय पूर्व–निश्चित मात्रा वाले बंडलों के टैरिफ पैकेज लोकप्रिय हो रहे हैं। इनकमिंग और आउटगोइंग आईएलडी वॉइस ट्रैफिक वॉल्यूम के रुझानों का समय–समय पर विश्लेषण करने के लिए, प्राधिकरण ने समय–समय पर कैरियर मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग और आउटगोइंग वॉइस ट्रैफिक से संबंधित डेटा एकत्र किया। इस डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 2018 में आईटीसी की दरों में संशोधन के बाद कैरियर मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग वॉइस ट्रैफिक में गिरावट की दर कम हो गई है।

4. इस पृष्ठभूमि के साथ, वर्तमान परामर्श पत्र (सीपी) अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति प्रभार (आईटीसी) के लिए मौजूदा नियामक व्यवस्था की समीक्षा पर आधारित है।

5. परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 09.12.2019 तक और प्रति– टिप्पणियां, यदि कोई हो, 23.12.2019 तक आमंत्रित की गई हैं।

6. टिप्पणियाँ और प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में sksinghal@trai .gov.in या interconnection.tra i@gmail. com पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री एस. के. सिंघल, सलाहकार (बीबी एंड पीए) से टेलीफोन नंबर + 91–1 1–23221509 पर संपर्क किया जा सकता है।

(यू. के. श्रीवास्तव)

सचिव (आई/सी)/भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।